अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या– 01/2006–07

श्याम गागराई एवं अन्य।

बनाम

सनातन गागराई।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद डिक्रीधारक 1. श्याम गागराई, 2. आनन्दी गागराई, 3. विक्रम गागराई, 4. दीसिंग गागराई, चारों के पिता– स्व० कान्डा गागराई, मुण्डा एवं 4 अन्य सभी का ग्राम– दादविल्ला, थाना– कुमारडुंगी, पो०– टी०बी० डुमरिया, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा कोल्हान दीवानी वाद संख्या– 2/94 में दिनांक– 03.07.1996 को पारित आदेश एवं डिक्री के कर्यान्वयन हेतु सनातन गागराई, पिता– स्व० दुरसु गागराई, ग्राम– दादविल्ला, थाना– कुमारडुंगी, पो०– टी०बी० डुमरिया, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में डिक्रीधारक एवं अधिवक्ता की ओर से लम्बे समय से कोई पैरवी नहीं करने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक– 75/न्या० दिनांक– 22.11.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा को दोनों पक्षों को अंतिम मौका देते हुए नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन नोटिस लेने के बाद भी सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 20.12.2021 को उभय पक्ष अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21.12.2021

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

21.12.2021

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.02.02 12:24:46 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner